

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 9, 1976/श्रावण 18, 1898

No. 277]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 9, 1976/SRAVANA 18, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 9th August 1976

G.S.R. 760(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. 5 Customs (G.S.R. No. 183), dated the 31st January, 1976, namely:—

In the preamble to the said notification, for the words, brackets and figures "sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1975 (25 of 1975)", the words, brackets and figures "sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976)" shall be substituted.

[No. 405/F. No 602/9/76-DBK]

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व वस्तु)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1976

सा० का० नि० 740 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बैंकिंग विभाग) की अधिसूचना सं० 5 सीमा-शुल्क (सा० का० नि० सं० 183) तारीख 31 जनवरी, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में, "वित्त अधिनियम, 1975 (1975 का 25) की धारा 31 की उपधारा (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[सं० 403/का० सं० 602/9/76 डी०बी०के०]

सी० डी० रंसाजारी, उप सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निबन्धक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976